न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 56 / 2025

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, जावाल जरिये सरपंच (प्रशासक) / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही
2. मंजू देवी पत्नी श्री शंकरलाल माली, निवासी–जावाल, तहसील व जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही, प्रार्थी की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से।

–ः निर्णयः– **दिनांक 06 मार्च, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12–3–2021 एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 46 दिनांक 15–3–2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से जबाव पेश किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 27–2–2026 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पं0स0, सिरोही ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों व तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित हुए यह व्यक्त किया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच हेतु उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयुपर के पत्र कमांक एफ 139(48) / पट्टा जांच / सिरोही / विधी / पं.स. / 2022 / 807 दिनांक 24–6–2022 के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल के पट्टों की जांच के सम्बन्ध में प्रदत्त निर्देशों की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही के आदेश क्रमांक 559–65 दिनांक 23–07–2022 के द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। जिसकी जांच रिपोर्ट में प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12–3–2021 के द्वारा तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा बुक संख्या 539 से जारी पट्टा विलेख संख्या 46 दिनांक 15–3–2021 में अनियमितता बरती जाने के कारण उक्त निगरानी आवेदन प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। यह कि राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पुराने गृहों का विनियमितीकरण करने का प्रावधान है जिसके अनुसार जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृहों पर कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराए जाने के इच्छुक है, वहां उन्हे दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिए 200 / – रूपये की राशि वसूल कर प्रारूप 23 (क) में पट्टा जारी किया जा सकता है। इस नियम के अर्न्तगत ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पत्रावली संख्या 30 दिनांक 22–01–2021 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को पट्टा विलेख संख्या 46 दिनांक 15–3–2021 को जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 के तहत भूमि क्रय हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु कमेटी का गठन नही किया गया है एवं न ही कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई है। इस प्रकार, उक्त पट्टा विलेख जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 की पालना नही की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 अनुसार यदि पंचायत अंतिम रूप से यह निश्चित करे कि भूमि विक्रय किया जाना है तो उपनियम (2) में अधिकथित रिति से प्रारूप 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में एक मास के भीतर–भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगी, उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी तथा दुसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाए जाने के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय में लौटाई जायेगी, परन्तु इस पट्टा विलेख को जारी करने से पूर्व इस प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई है। ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दिनांक 12–3–2021 को बैठक किया जाना दर्शाया गया है, उस दिनांक में भी उपरी लेखन नही किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा इस विक्रय विलेख से संबंधित कोई पत्रावली संधारित नही की गई है एवं इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 की पालना नही की गई है। इस पट्टा विलेख में वर्णित भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के कब्जे या निवास के कोईं साक्ष्य नही लिये गये है व ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के भूखण्ड़ पर कब्जे के संबंध में कोई जांच नही की गई है। उक्त भूमि नियमन/विक्रय के सम्बन्ध में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के रूप में कब्जे के कोई प्रमाण, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत नही किये गये है। उक्त जारी पट्टा विलेख पर सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार उक्त विक्रय विलेख नियम विरुद्ध जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12–3–2021 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष जारी पट्टा विलेख संख्या 46 दिनांक 15–3-2021 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के जबाव .में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन के शीर्षक में ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच हेतु उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव प्रथम, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विकास, जयपुर के पत्र का हवाला देते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, सिरोही को जांच सुपूर्द करने एवं उनके द्वारा की गयी जांच के संबंध में कोई दस्तावेज की नकल अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को उपलब्ध नहीं करवाई है एवं शीर्षक में ही पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा की गयी अनियमितता का उल्लेख किया है, लेकिन अगर कोई अनियमितता ग्राम पंचायत, जावाल की ओर से पट्टा जारी करने में बरती गयी है तो उसके लिए ग्राम पंचायत, जावाल के पदाधिकारी दोषी है, उसके लिए अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की किसी प्रकार से कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। इससे यह पूर्णतया प्रमाणित है कि पट्टा विधिवत् रूप से जारी किया गया है, अगर किसी प्रकार की कोई अनियमितता है तो उसके लिए उन अनियमितताओं का निराकरण किया जा सकता है। उक्त पट्टा विलेख, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अंतर्गत निर्मित मकान का जारी किया

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

गया है, जिसकी नियमानुसार पत्रावली अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के नाम से बनाई गयी है एवं इस संबंध में पट्टा संख्या 46 दिनांक 15-3-2021 को जारी किया गया है एवं उक्त पट्टा जारी होने के पश्चात् दिनांक 16-11-2021 को उक्त पट्टे का नियमानुसार उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में पंजीयन करवाया गया है। इस प्रकार उक्त पट्टा एक पंजीयनशुदा रजिस्टर्ड दस्तावेज है। ग्राम पंचायत को कानुनन उक्त भूमि के संबंध में पट्टा जारी करने का अधिकार है एवं ग्राम पंचायत, जावाल ने राजस्थान पंचायती राज नियमों की पूर्ण पालना कर एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की नियम 157(1) के तहत् पट्टा जारी करने की पात्रता रखने से ही अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमतता नहीं बरती गयी है। ग्राम पंचायत, जावाल ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 की पूर्ण रूप से पालन की गयी है। मौका निरीक्षण कमेटी का गठन किया गया था एवं कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर अपनी जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 की प्रार्थी ने गलत रूप से व्याख्या की है। दो मौतबीगन के सामने ही आपत्ति नोटिस चस्पा किये गये थे। दिनांक 12-03-2021 को बैठक रजिस्टर में नियमानुसार प्रस्ताव लिये गये है। उक्त पट्टा विलेख को जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 की पूर्ण रूप से पालना की गयी है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का कदीम से उक्त सम्पत्ति पर मकान बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का राशन कार्ड उसी मकान का बना हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का मतदाता पहचान पत्र व जिसके सारे दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 2 (दो) ने ग्राम पंचायत, जावाल में प्रस्तुत किये थे एवं सारे दस्तावेज की जांच करके ही अप्रार्थी संख्या 2 (दो के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को जारी पट्टे पर सरपंच, ग्राम पंचायत, जावाल एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जावाल के हस्ताक्षर किये हुए है एवं उक्त पट्टे का नियमानुसार उप पंजीयक कार्यालय सिरोही में पंजीयन करवा रखा है। अगर ग्राम पंचायत की पट्टे की द्वितीय परत पर हस्ताक्षर त्रृटिवश नहीं हो पाये है तो इससे मुल पट्टे पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पडता है। प्रार्थी ने उक्त निगरानी आवेदन अवधि बाहर पेश किया गया है जो कानुनन परिपोषणीय नहीं है। निगरानी आवेदन में प्रार्थी की ओर से सत्यापन/प्रमाण नहीं किया गया है तथा निगरानी आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। शपथपत्र के अभाव में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन कानुनन परिपोषणीय नहीं है। प्रार्थी का उक्त निगरानी आवेदन, न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले निगरानी आवेदन के प्रारूप में नहीं है। यह एक विभागीय पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र है जो कानुनन परिपोषणीय नहीं है। प्रार्थी ने अपने निगरानी आवेदन के अनवान में केवल प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 12-03-2021 को चुनौती दी है। किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये प्रस्ताव के विरूद्ध अपील पंचायत समिति को ही की जाती है। इस प्रकार, प्रस्ताव को चुनौती देते यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है जो कानुनन परिपोषणीय नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के हक में ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा जारी पट्टा विलेख को उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में नियमानुसार पंजीयन करवाया गया है, जिससे उक्त पंजीयनशुदा दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बगैर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी आवेदन कानुनन परिपोषणीय नहीं है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अपने कार्य का निर्वहन करने में कोई अनियमितता बरती है तो उस अनियमितता के लिए तत्कालीन पदाधिकारी दोषी है जिन्हे दण्डित किया जा सकता है व उस अनियमितता को दुरूस्त किया जा सकता है, जिसकी आड में उक्त पट्टे को प्रार्थी द्वारा गलत रूप से चुनौती दी है जिससे भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन कानुनन परिपोषणीय नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का उक्त भूखण्ड पर मकान कदीम से पुराना बना हुआ था जिसके आधार पर नियमानुसार पट्टा जारी किया हुआ था। उक्त

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * राजस्थान
सत्यमेव जयते

मकान काफी पुराना व जर्जर होने से अभी अप्रार्थी संख्या 2 (दो) ने उक्त पुराने मकान को गिराकर वहाँ उसी स्थल पर नया मकान बनवाया है एवं मौके पर कदीम से निवास करते आ रहे है व मकान के स्वामित्व का भी विवाद नही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12—3—2021 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा विलेख संख्या 46 दिनांक 15—3—2021 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23—क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः—

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल—

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये— 100/— रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरानसंनिर्मित पुराने गृहों के लिये— 200/— रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप—खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप—खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जांच प्रतिवेदन (जो जिला जन अभियोग एवं सर्तकता समिति, सिरोही में दर्ज प्रकरण संख्या 32/2022 में शिकायत/परिवाद की जांच के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही के द्वारा गठित जांच दल द्वारा जांच कर प्रस्तुत किया गया है) के अवलोकन से तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के कथनों से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 के तहत भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है एवं ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु कमेटी का भी गठन नही किया गया है एवं न ही कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा उक्त पट्टा विलेख जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 व 146 की पालना नही की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 अनुसार यदि पंचायत यह निश्चित करे कि भूमि विक्रय किया जाना है तो उपनियम (2) में अधिकथित रिति से प्रारूप 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में एक मास के भीतर—2 आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगी, उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी तथा दुसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाए जाने के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय में लौटाई जायेगी, परन्तु उक्त पट्टा विक्रय विलेख जारी

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

करने से पहले ऐसी कोई कार्यवाही नही की गई है। ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दिनांक 12–3–2021 को बैठक किया जाना दर्शाया गया है, उस दिनांक में भी उपरी लेखन नही किया गया है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा उक्त पट्टा विलेख से संबंधित कोई पत्रावली (मिसल) संधारित नही की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त पट्टा विलेख को जारी करने में ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 की पालना नही की गई है। न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध उक्त पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त जारी पट्टा विलेख पर ग्राम पंचायत, जावाल के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए नही है, हालांकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा उसके जबाव में अंकित कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त पट्टा विलेख की पट्टाधारक की प्रति पर सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी, गाम पंचायत, जावाल के हस्ताक्षर किये हुये है एवं उक्त पट्टा विलेख का उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में पंजीयन भी करवाया हुआ है, लेकिन न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा विलेख की पंचायत प्रति पर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जावाल के हस्ताक्षर किये हुये नही है एवं उक्त पट्टा विलेख के संबंध में ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पत्रावली (मिसल) भी संधारित नही की गई है। इससे यह स्पष्ट रुप से प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा उक्त पट्टा विलेख जारी करने में अनियमितता बरती गई है। ऐसी स्थिति में, उक्त प्रश्नगत प्रस्ताव व पट्टा विलेख को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12–3–2021 एवं ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 46 दिनांक 15–3–2021 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06 मार्च, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही